संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांक– 242 /15–1 दिनांक, प्रयागराज, 23, जुलाई, 2025।

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण)
साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0,
409, चर्तुथ तल, शालीमर टाइटेनियम,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–206010, उ0प्र0।

ऑनलाइन प्रस्ताव सं0–FP/UP/TRANS/15538/2015

विषयः– **765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य में कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि अर्थात 3.1136 हे0 वन भूमि एवं बाधक 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात 14.8394 हे0 वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वन भूमि एंव बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात 1.7141 हे0 वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 15.7791 हे0 आरक्षित तथा 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि अर्थात कुल 23.5776 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2898 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी / यू0पी0 / 04 / 05 / 2024 / एफ0सी0 / 30, दिनांक–01.07.2025।

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो इस कार्यालय के साथ–साथ आपको भी प्रतिलिपि है का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य में **कानपुर नगर** में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, **कानपुर देहात** में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वन भूमि अर्थात 3.1136 हे0 वनभूमि एवं बाधक 117 वृक्षों के पातन, **प्रयागराज** में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, **मैनपुरी वन प्रभाग** में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 16 वृक्षों के पातन, **औरैया वन प्रभाग** में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0 वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा **फतेहपुर वन प्रभाग** में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 15.7791 हे0 आरक्षित तथा 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात कुल 23.5776 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2898 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में **सैद्धान्तिक स्वीकृति (Principle approval)** विभिन्न शर्तो के साथ प्रदान की गयी है, जिसका अनुपालन (Compliance) **साउथ ईस्ट यू0पी0 पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0** द्वारा किया जाना है –

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की **शर्त संख्या 01** के अनुसार वन भूमि कि वैधानिक स्थिति यथावत बनी रहेगी।
2. **(i)** सैद्धान्तिक स्वीकृति की **शर्त संख्या–02 व 03** के अनुसार (1) वन प्रभाग, कानपुर नगर में प्रभावित संरक्षित वन भूमि **0.3456 हे0** (2) वन प्रभाग, कानपुर देहात में प्रभावित संरक्षित वन भूमि **0.8064 हे0** (3) वन प्रभाग, प्रयागराज में प्रभावित कुल वन भूमि (आरक्षित/संरक्षित) **14.8394 हे0** (4) वन प्रभाग, मैनपुरी में प्रभावित संरक्षित वन भूमि **1.4145 हे0** (5) वन प्रभाग, औरैया में प्रभावित कुल वन भूमि (आरक्षित/संरक्षित) **1.7141 हे0** तथा वन प्रभाग, फतेहपुर में प्रभावित संरक्षित वन भूमि **2.1504 हे0 कुल 21.2704 हे0** के दो गुने अर्थात **21.2704 × 2 = 42.5408** हे0 अवनत वन भूमि **(DFL)** पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण **(CA)** तथा 10 वर्षो तक अनुरक्षण का कार्य प्रयागराज वन प्रभाग के अन्तर्गत मेजा तथा कोरांव रेंज में कराया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण कार्य तथा अनुरक्षण हेतु **धनराशि रू0 1,32,80,596.00/–** परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर उसकी प्राप्ति उपलब्ध कराये।

   (ii) इसी प्रकार वन प्रभाग, कानपुर देहात में प्रभावित वन भूमि 2.3072 हे0 दो गुने अर्थात **2 × 2.3072 = 4.6144 हे0** अवनत वन भूमि (DFL) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA) के कार्य तथा 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु आवश्यक **धनराशि रू0 6919776.00/–** परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर उसकी प्राप्ति उपलब्ध कराये।

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति की **शर्त संख्या–04** के अनुसार विभिन्न वन प्रभागों में, प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष प्रभागवार NPV की धनराशि **रू0 4,24,601.00/–** (कानपुर नगर), **रू0 38,25,338.00/–** (कानपुर देहात), **रू0 1,42,12,881.00/–** (प्रयागराज), **रू0 13,54,780.00/–** (मैनपुरी) **रू0 16,41,731.00/–** (औरैया) तथा **रू0 20,59,610.00/–** (फतेहपुर), परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर उसकी प्राप्ति उपलब्ध करायें।
4. सैद्धान्तिक स्वीकृति की **शर्त संख्या–06** के अनुसार परियोजना कार्य में बाधक वृक्षों कानपुर नगर–**(18)**, कानपुर देहात–**(117)**, प्रयागराज–**(2460)**, मैनपुरी–**(16)**, औरैया–**(220)** तथा फतेहपुर–**(67)** **कुल 2898** वृक्षों के पातन/हटाने का कार्य राज्य वन विभाग के निगरानी में किया जायेगा तथा पेड़ों के कटाई का शुल्क यूजर एजेन्सी द्वारा राज्य वन विभाग के पास जमा किया जायेगा।
5. सैद्धान्तिक स्वीकृति की **शर्त संख्या–09** के अनुसार विभिन्न वन प्रभागों में प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष पारेषण लाइन के नीचे औषधीय पौधों के रोपण हेतु प्रभागवार वांछित धनराशि **रू0 7,50,882.00/–** (कानपुर नगर), **रू0 28,05,764.00/–** (कानपुर देहात), **रू0 32,00,176.00/–** (प्रयागराज), **रू0 31,93,800.00/–** (मैनपुरी), रू0 **35,74,252.00/–** (औरैया) तथा रू0 **10,66,954.00/–** (फतेहपुर) परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर प्राप्ति उपलब्ध करायें।

अतः उपरोक्त समस्त धनराशि अलग–अलग कैम्पा फण्ड में जमा कर उसकी प्राप्ति उपलब्ध करायें। **साथ ही साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति के समस्त शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट अभिलेखों सहित परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर उसकी मूल प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।**

संलग्नकः– यथोपरि।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

पत्रांकः– 242 / दिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, कानपुर नगर, कानपुर देहात, मैनपुरी, औरैया व फतेहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अरविन्द कुमार यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, फतेहपुर

पत्रांक – 44 /27–4 (FC) फतेहपुर ,दिनांक – 03/07/2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण),
साउथ ईस्ट उ0प्र0 ट्रांसमिशन कम्पनी लि0,
विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

Proposal No: FP/UP/TRANS/15538/2015

विषय :– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी बारा पारेषण लाईन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानुपर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् 14.8394 हे0 वन भूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा **फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वन भूमि एंव बाधक 67 वृक्षों के पातन** कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात् कुल 19.9019 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, का पत्रांक 08बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/30 दिनांक 01.07.2025 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 34/11–सी FP/UP/TRANS/15538/2015 दिनांक 02.07.2025।

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 01.07.2025 को 32 शर्तो के साथ जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की छाया प्रति संलग्न इस आशस से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में जारी की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की में निम्नानुसार भुगतान पोर्टल से जनरेट चालन के माध्यम से कर समस्त 32 बिन्दुवार अनुपालन आख्या पारिवेश पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें –

1. बिन्दु संख्या 04 के अनुपालन में फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 2.1504 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) 2059610.00 जमा कर रसीद संलग्न करें।
2. बिन्दु संख्या 07 के अनुपालन में फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत जिलाधिकारी, द्वारा निर्गत वन अधिकार अधिनियम–2006 का प्रमाण पत्र अपलोड़ करें।
3. बिन्दु सख्या 09 के अनुपालन में फतेहपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित सडक पटरी 2.1504 हे0 मे पारेषण लाइन के नीचे औषधीय पौधों के रोपण हेतु 1066954.00 जमा कर रसीद संलग्न करें।

उपरोक्तानुसार धनराशि कैम्पा फण्ड में जमां करते हुये पर्यावरण वन एवं जलवायु ,परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 01.07.2025 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के समस्त बिन्दुओं की अनुपालन आख्या भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
RAMANUJ TRIPATHI
Date: 03-07-2025
17:35:56

प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

संख्या – /समदिनांक –

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन प्रभाग, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर

पत्रांक 248 / 14-1 कानपुर, दिनॉक, 22/07/ 2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण)
एस0ई0यू0पी0पी0टी0सी0एल0
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

विषयः— 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी—बारा पारेषण लाइन सर्किट—1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात 3.1136 हे0 वनभूमि एवं बाधक 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0 वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 15.7791 हे0 आरक्षित तथा 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात कुल 23.5778 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2898 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/30 दिनांक 01.07.2025 (छायाप्रति संलग्न)।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर नगर की प्रभावित संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से जमा कर) रसीद एवं वचनबद्धता प्रमाण की मूल हस्ताक्षरित प्रति सहित अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1. बिन्दु संख्या—1 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही संरक्षित वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिर्तन नहीं होगा, सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. बिन्दु संख्या—2 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले वर्णित वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

3— बिन्दु संख्या—3 के अनुसार वॉछित धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

4— बिन्दु संख्या—4 के अनुसार कानपुर नगर में प्रभावित हो रही 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 4,24,601.00 की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

5– बिन्दु संख्या–9 के अनुसार कानपुर नगर में प्रभावित हो रही 0.3456 हे0 संरक्षित वन भूमि में बौने पौधे के रोपण हेतु वॉछित धनराशि रू0 7,50,882.00 E-Payment Portal के माध्यम से उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ में जमा कराकर रसीद/चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

उपरोक्त सभी शर्तों के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों (क्रम संख्या 01 से 32 तक) के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या/वचनबद्धता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक– यथोपरि

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक / दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

2– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।

3– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) धनराशि की गणना

समाजिक प्रभाग कानपुर के अन्तर्गत प्रस्तावित 765 के0वी0 एकल पथ मैनपुरी–बारा सर्किट–1 पारेशण लाइन निर्माण हेतु एस0ई0यू0पी0टी0सी0एल0 में प्रभावित संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना निम्न है–

प्रभावित संरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल– 0.3456 है0

प्रभावित संरक्षित वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व– 0.4

प्रभावित संरक्षित वन भूमि का ईको क्लास– Eco Class-3

प्रभावित आरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य– 0.3456 X 1228590

= 424600.70

OR = 4,24,601.00

(रू0 चार लाख चौबीस हजार छः सौ एक मात्र)

भविष्य में यदि उक्त दरों में कोई परिवर्तन होता है, तो तदानुसार धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को देय होगी।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

765 KV trans mission line

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात

पत्राँक 123 / 144 दिनाँक, कानपुर देहात, 10.07. 2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण)
साउथ ईस्ट उ0प्र0 ट्रान्समिशन कम्पनी लि0,
विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात 3.1136 हे0 वनभूमि एवं बाधक 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वन भूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0 वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वनभूमि व 15.7791 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात कुल 23.5776 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2898 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/15538/2015)

सन्दर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/30, दिनांक 01.07.2025।
2. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 34/11–सी–FP/UP/TRANS/15538/2015, दिनांक 02.07.2025।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/30, दिनांक 01.07.2025 के माध्यम से 32 शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित कि निम्नानुसार धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर रसीद (आन–लाइन चालान की प्रति) एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित प्रतियों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:–

1. बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुपालन में कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात 3.1136 हे0 वनभूमि के सापेक्ष **0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि के दोगुने अर्थात 1.6128 हे0 अवनत वन भूमि पर दस वर्षों के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूरक वनीकरण परियोजना के अनुसार कैम्पा फण्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें।**

इसके अतिरिक्त कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि के सापेक्ष डेरापुर रेन्ज के अन्तर्गत बान वन ब्लॉक में प्रभावित अवर्गीकृत वनभूमि के दोगुने अर्थात 4.6144 हे0 अवनत वन भूमि पर दस वर्षों के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु कुल रू0 6919776/– (रू0 उनहत्तर लाख उन्नीस हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें।

2. बिन्दु संख्या 4 के अनुपालन में कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात **3.1136 हे0 वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 3825338/–**

(रू0 अड़तीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) की धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें।

3. बिन्दु संख्या 9 के अनुपालन में कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वन भूमि व 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात **3.1136 हे0 वनभूमि के सापेक्ष पारेषण लाइन के नीचे प्रभावित वन भूमि पर औषधीय एवं बौने पौधों के दस वर्षीय अनुरक्षण सहित रोपण हेतु कुल रू0 2805764/– (रू0 अट्ठाइस लाख पाँच हजार सात सौ चौंसठ मात्र) की धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा कराना सुनिश्चित करें।**

उपरोक्त सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों के परिपूर्ण परिपालन एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें, जिससे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान न किये जाने तक वन भूमि का प्रत्यावर्तन/हस्तांतरण प्रभावी नहीं होगा।

संलग्नकः–यथोपरि

भवदीय

(ए0के0 पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग
कानपुर देहात

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।

पत्रांकः 131 /14–1दिनांकःऔरैयाःजुलाई, 15 ,2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण),
साउथ ईस्ट उ0प्र0, पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 ,
विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

विषयः– 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभमि व 2.3042 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात 301136 हे0 वनभूमि एंव बाधक 117 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित वनभूमि व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2640 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 16 वृक्षों के पातन, **औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0 एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन** तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित वनभूमि व 15.7791 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 2.3072 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि अर्थात कुल 23.5776 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2898 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0– **FP/UP/TRANS/15538/2015**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ.सी./30 दिनांक 01.07.2025।

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ.सी./30 दिनांक 01.07.2025 के माध्यम लखनऊ द्वारा विभिन्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है जो आपको भी पृष्ठांकित है के अधीन निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नानुसार धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा कर (ऑनलाइन चालान की प्रति) एवं एवं बचबद्धता प्रमाण पत्र मूल में हस्क्षारित कर 5 प्रतियों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शर्तों का विवरण निम्न प्रकार है :–

शर्त संख्या–2 व 3	औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0	औरैया वन प्रभाग में प्रभावित संरक्षित व आरक्षित भूमि 1.7141 के बदले दो अर्थात् 3.4282 हे0 अवनत वन भूमि पर दश वर्षों के अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूरक वनीकरण परियोजना के अनुसार कैम्पा फण्ड में जमा कर एक प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
शर्त संख्या–4	औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0	प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0 वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रू0 16,41,731.00 (रू0 सोलह लाख इकतालीस हजार सात सौ इकत्तीस मात्र) की धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा कर एक प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
शर्त संख्या–9	औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0	प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि व 1.3685 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 1.7141 हे0 वनभूमि के सापेक्ष पारेषण लाइन के नीचे प्रभावित वनभूमि पर औषधीय एवं बौने पौधों के दस वर्षीय अनुरक्षण सहित रोपण हेतु कुल रू0 35,74,252.00 (रू0 पैंतीस लाख चौहत्तर हजार दौ सौ बावन मात्र) की धनराशि कैम्पा फण्ड में जमा कर एक प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों के परिपूर्ण परिपालन एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट आख्या इस कार्यालय में उपलब्ध कराते हुये भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें, जिससे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान न किये जाने तक वनभूमि का प्रत्यावर्धन/हस्तान्तरण प्रभावी नही होगा।

संलग्नकः– यथोपरि।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक– / समदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, प्रयागराज को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 चन्द्र प्रताप सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया

संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग,मैनपुरी
पत्रांक 183 /14—1 दिनांकःमैनपुरी जुलाई 15 ,2025

सेवा में,

महाप्रबन्धक (पारेषण)
साउथ ईस्ट उ0प्र0, ट्रांसमिशन कम्पनी लि0
विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ ।

विषयः— विषयः—765 के0वी0सिंगल सर्किट मैनपुरी—बरा पारेषण लाइन सर्किट—1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुरनगर में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे0 संरक्षित व 14.4106 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे0 वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरेया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे0 संरक्षित एवं 14.4106 हे0 आरक्षित अर्थात 19.9019 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्वन्ध में ।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रॉक 8बी/यू0पी0/04/05/2024/एफ0सी0/30 दिनॉक 01—07—2025 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रॉक—34/11—सी FP/UP/ TRANS /15538/2015 दिनॉक 02—07—2025

कृपया उपरोक्त संन्दर्भित पत्र जो आपको भी पृष्ठांकित है, के कम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ द्वारा विभिन्न शर्तो/प्रतिवन्धों के अधीन सैद्धातिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसकी विन्दुवार अनुपालन आख्या आपसे अपेक्षित है। शर्त सं0 4 व 9 के अनुपालन में e-payment से ई— चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जाने वाली धनराशि निम्न प्रकार होगी —

<u>**शर्त सं0— 4**</u> :— प्रयोक्ता अभिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/4/2008 में रिट पिटरीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 में डव्लूपी(सी) सं0 202/1995 और मंत्रालय द्वारा पत्र 5—1/1998 —एफ0सी0 द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार (पीटी. II) दिनॉक 18—9—2003 व पत्र सं0 5—2/2006 एफसी0 दिनॉक 03—10—2006 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5—3/2007—एफ0सी0 दि0 05—02—2009 एवं **रिवाईज वर्तमान एन0पी0वी0 दर** के तहत दिये गये **आदेश दिनॉक 06—01—2022 तथा दि0 19—01—2022 के कम में** प्रभावित वन भूमि (1.4145हे0) का शुद्ध वर्तमान मूल्य रू0 **1354780.00 (तैरह लाख चउवन हजार सात सौ अस्सी मात्र)** कैम्पा फण्ड में जमा करना होगा

<u>शर्त सं0— 9</u> :— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पारेषण लाइन के नीचे औषधीय पौधों के रोपण हेतु 3193800.00 **(इकत्तीस लाख तिरानवे हजार आठ सौ मात्र)** e-payment से ई— चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा करना होगा ।

अतः आप उपरोक्तानुसार सूचित धनराशि सन्दर्भित पत्र में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कैम्पा निधि में ई—पोर्टल से ई—चालान के माध्यम से भुगतान कर अन्य वर्णित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर 05 प्रतियॉ इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सकें। सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

<u>संलग्नकः— उपरोक्तानुसार</u>

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

<u>पत्रॉक 183 / 14 जुलाई 25 दिनॉंकित</u>

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

new land trans

संशोधित

नेट प्रसेन्ट वैल्यू (NPV)

भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली के पत्रॉक 5–3/2011–एफ0सी0(Vol-I) दिनॉक 06–01–2022 द्वारा रिवाईज वर्तमान एन0पी0वी0 दर के अनुसार 765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण हेतु जनपद मैनपुरी में 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि की नेट प्रसेन्ट वैल्यू की गणना निम्न प्रकार है –

स्थल का नाम	वन प्रकार	क्षेत्रफल (हें)	ईको क्लास	घनत्व	प्रति हे0 वैल्य (रू0)	कुल वैल्यू (रू0)
765 के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा पारेषण लाइन सर्किट–1 के निर्माण हेतु जनपद मैनपुरी में 1.4145 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 83 वृक्षों के पातन की अनुमाति के संम्बन्ध में।	संरक्षित वन	1.4145	III	0.1	957780/–	1354779.81
					योग	1354779.81 या 1354780.00
		तैरह लाख चउवन हजार सात सौ अस्सी मात्र				

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी